आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
30-01-2024	**वाद सं0–02/2024** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्रीमती सरोज देवी एवं अन्य, ग्राम–बिजका, पं0–बिजका, प्रखण्ड–भण्डरिया, जिला गढ़वा अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा अनुपस्थित। आज की सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा या उनके प्रतिनिधि सुनवाई में उपस्थित नहीं है। उनका कोई प्रतिवेदन भी आयोग के अभिलेख में मौजूद नहीं है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश देता है कि शिकायतकर्ता के शिकायतों का निदान करते हुए अगली सुनवाई में विस्तृत प्रतिवेदन पेश करें और आज की सुनवाई में अनुपस्थित रहने का कारण समर्पित करें। आयोग के आज के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्रवाई करने को बाध्य होगा। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–12.02.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–12.02.2024 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

D:\Premlata\Court.docx61